



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941

No. 719]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

**सा.का.नि. 912(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;
- (ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;
- (iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;
- (iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987;
- (v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;
- (vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;
- (vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;
- (viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016:

परंतु ऐसी सुस्ती,-

- (i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

**Particulars of Account**

Account number	Date	Name of Account office	Amount

The authority mentioned above has agreed to accept the pledge. A pledge acceptance duly signed by the competent authority as pledgee is attached.

Dated : .....

Signature of account holder(s)/guardian

Address .....

**For office use only**

Account number \_\_\_\_\_ has been pledged vide registration no. .... dated ..... and necessary entries have been marked in the record. Passbook/deposit receipt/statement of account has also been marked with pledge and returned to the account holder.

Signature of Post Master/Manager

Seal

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

**सा.का.नि. 920(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1.) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम किसान विकास पत्र स्कीम, 2019 है।

(2.) यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषा:**

(1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ख) "खाता धारक" से जिसके नाम खाता धारित हो वह व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इस स्कीम से संगलन प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है।

(च) "वर्ष" से खाता में राशि जमा करने की तारीख से शुरू होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।

(2) यहां जो शब्द और अभिव्यक्ति प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, उनका क्रमसह वही अर्थ होगा जो अधिनियम और सामान्य नियम में दिए गए हैं।

**3. खातों के प्रकार-**(1) प्ररूप-1 में खाते कार्यालय के लिए किसी आवेदन पर स्कीम के अधीन निम्नलिखित प्रकार के खातों को खोला जा सकेगा; अर्थात्

(क) एकल धारक प्रकार का खाता;

(ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता; और

(ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता।

(2) (क) एकल प्रकार का खाता किसी वयस्क द्वारा अपने लिए या अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के नाम से, जिसका वह अभिभावक है या दस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके अवयस्क द्वारा खोला जा सकता है।

(ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता तीन वयस्कों के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो संयुक्त रूप से सभी धारकों या उत्तरजीवितों को संदेय होगा।

(ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता तीन वयस्कों के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो किसी भी एकधारक या उत्तरजीवितों में से किसी एक को संदेय होगा।

**4. जमा -**(1) न्यूनतम एक हजार रुपये और इसके बाद एक सौ रुपये के गुणकों में राशि खाते में जमा की जा सकती है।

(2) खाताधारक के खाते या खातों में जमा के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

(3) व्यक्ति अनेक खाते खोल सकता है।

**5. परिपक्वता की अवधि -** (1) खाते में जमा की गई राशि परिपक्वता पर दोगुनी हो जाएगी किसी खाते की परिपक्वता की अवधि नौ वर्ष और जमा करने की तारीख के आरम्भ से पांच माह होगी। परिपक्वता की राशि कार्यालय खाते में प्रस्तुत किए जाने वाली प्ररूप-2 में किसी आवेदन पर खाते धारक को पुर्नसंदाय की जा सकेगी।

(2) इस स्कीम के अधीन जमा की परिपक्वता अवधि का निर्धारण खाता खोलने के समय लागू ब्याज दर के आधार पर लगाया जाएगा।

**6. परिपक्वतापूर्व खाता बंद करना-** (1) निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर परिपक्वता से पूर्व किसी भी समय खाता कार्यालय के प्ररूप-3 में किसी आवेदन को करके खाता धारक द्वारा परिपक्वता पूर्व खाता बंद किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) एकल खाते में खाता धारक या संयुक्त खाते में किसी एक अथवा सभी खाता धारकों की मृत्यु होने पर;

(ख) गिरवीकार द्वारा राजपत्रित सरकारी अधिकारी होने के नाते समपहरण किए जाने पर;

(ग) न्यायालय के आदेश पर।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन खाता बंद होने पर पूरे महीनों के लिए समय-समय पर डाकघर बचत खाता के लिए लागू दर पर की गई गणना को साधारण ब्याज के साथ मूलधन को, जिसमें खाता धारित हो, संदाय किया जाएगा।

(3) उप-पैरा (2) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यदि खाता खोलने की तारीख से दो वर्ष छह मास के अवसान के पश्चात खाता बंद किया जाता है, ब्याज सहित रकम को नीचे दी गई सारणी में यथा निर्दिष्ट रूप से संदेय की जाएगी।

1,000 रुपये के साथ अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात परिपक्वतापूर्व खाते की मूल्य को दर्शित करने वाली सारणी

**सारणी**

वह अवधि जिस तारीख को खाते की परिपक्वतापूर्व बन्द करने की तारीख	ब्याज सहित देय राशि (रुपये)
(1)	(2)
दो वर्ष और छह मास किंतु तीन वर्ष से कम	1173
तीन वर्ष किंतु तीन वर्ष और छह मास से कम	1211
तीन वर्ष और छह मास किंतु चार वर्ष से कम	1251
चार वर्ष किंतु चार वर्ष और छह मास से कम	1291
चार वर्ष और छह मास किंतु पांच वर्ष से कम	1333
पांच वर्ष किंतु पांच वर्ष और छह मास से कम	1377
पांच वर्ष और छह मास किंतु छह वर्ष से कम	1421
छह वर्ष किंतु छह वर्ष और छह मास से कम	1467
छह वर्ष और छह मास किंतु सात वर्ष से कम	1515
सात वर्ष किंतु सात वर्ष और छह मास से कम	1564
सात वर्ष और छह मास किंतु आठ वर्ष से कम	1615
आठ वर्ष किंतु आठ वर्ष और छह मास से कम	1667
आठ वर्ष और छह मास किंतु नौ वर्ष से कम	1722
नौ वर्ष किंतु प्रमाणपत्र की परिपक्वता से पूर्व	1778
प्रमाणपत्र की परिपक्वता पर	2000

7. **खाता गिरवी रखना-** गिरवी रखने वाले के स्वीकृति पत्र के समर्थन में प्ररूप-4 में जमाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर किसी खाते को गिरवी रखा जा सकता है या प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(2). इस स्कीम के अधीन खाते का अंतरण निम्न अनुसार किया जाएगा –

(क) भारत के राष्ट्रपति या अपनी शासकीय हैसियत में राज्य के राज्यपाल;

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक या एक सहकारी बैंक सहित एक अनुसूचित बैंक या एक सहकारी समिति;

(ग) एक सार्वजनिक या निजी निगम या एक सरकारी कंपनी;

(घ) एक स्थानीय प्राधिकरण; या

(ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी;

परंतु यह कि अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते के स्थानांतरण को इस स्कीम के अधीन तब तक नहीं अनुज्ञात की जाएगी, जब तक कि अवयस्क का अभिभावक या विकृत चित्त व्यक्ति, यथास्थिति, लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति जीवित है और यह कि स्थानांतरण अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के लाभ के लिए है।

(3) जब किसी भी खाते को उप-पैरा (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी, बचत प्रमाणपत्र सहित खाते के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकित करेगा, :-

"..... प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरण"।

(4) इस स्कीम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय इस पैरा के अधीन किसी खाते का अंतरण कर्ता तब तक किया जाएगा, जब तक कि इसे उप-पैरा (5) के अधीन वापस स्थानांतरित नहीं किया जाता है, जमाकर्ता माना जाता है।

(5) इस स्कीम के अधीन अंतरण किया गया एक खाता, अंतरण कर्ता के लिखित प्राधिकार पर, प्राधिकृत अधिकारी के लिखित पूर्व अनुमोदन के साथ वापस पुनःस्थानांतरित किया जा सकता है और जब कोई भी कोई इस प्रकार का स्थानांतरण किया जाता है, तो लेखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी प्रमाण पत्र सहित, खाते के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकित करेगा :-

" ... में पुनःस्थानांतरित कर दिया"।

(6) एक नेत्रहीन व्यक्ति या शारीरिक अंग-शैथिल्य वाला व्यक्ति जो खाता संचालित करने में असमर्थ है, वह किसी भी साक्षर व्यक्ति के माध्यम से अपनी जमा राशि को गिरवी रख सकता है जिसे वह इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करता है।

**8. खाता का अंतरण :-** एक व्यक्ति से अन्य दूसरे को खाता का अंतरण इस शर्त के अधीन होगा कि अंतरण कर्ता निम्नलिखित मामलों में, इस स्कीम के अधीन खाता खोलने का पात्र हो, अर्थात्:

- (i) एकल खाता के मामले में खाताधारक की मृत्यु होने पर अथवा संयुक्त खाता में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर, राशि विधिक उत्तराधिकारियों या नामनिर्देशितों, यथास्थिति को स्थानांतरित की जाएगी।
- (ii) न्यायालय के आदेश पर, खाताधारक से न्यायालय अथवा न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाएगा;
- (iii) गिरवी रखने पर, खाता पैरा-7 के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा;
- (iv) संयुक्त खाते में किसी भी खाताधारक की मृत्यु हो जाने की दशा में, उत्तरजीवित खाताधारक या खाताधारकों, यथास्थिति, के नाम पर स्थानांतरित होगा।

**9. खाता धारक की मृत्यु होने पर संदाय—**(1) एकल खाता में खाताधारक की या संयुक्त खाता में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर नामनिर्देशिनी को यदि नामनिर्देशन विद्यमान है या उसके विधिक वारिस (वारिसों) को जमा किया जाएगा।

(2) जहां तीन से अधिक उत्तरजीवित नामनिर्देशिनी या विधिक वारिस नहीं हैं, तो वे, अपनी विकल्प से खाता जारी रख सकते हैं और इस स्कीम में उपबंध की गई रीति में परिपक्वता पर ब्याज सहित जमा राशि को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे की यदि वे खाता उन्होंने स्वयं खोला था।

(3) जहां उप-पैरा (2) के अधीन खाता जारी नहीं रखा जाता है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा और पैरा 6 में उपबंध के अनुसार खाते में बकाया जमाराशि का ब्याज सहित पुनर्भुगतान किया जाएगा।

(4) संयुक्त खाते में एक अथवा दो खाताधारकों की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवित खाताधारक(कों) को खाता का स्वामी माना जाएगा और वे खाताधारक उप-पैरा (2) के अधीन खाता जारी रख सकते हैं या उप-पैरा (3) के तहत इसको बंद कर सकते हैं।

**10. साधारण नियम का लागू होना** - साधारण नियम के उपबंध, उन मामलों के संबंध में भी लागू होंगे, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।

**11. छूट देने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाताधारक को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लिखित रूप में अभिलेख करते हुए इसके कारणों के लिए आदेश द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के लिए जो असंगत न हो उस रीति में उस उपबंध से छूट दे सकती है।

[फा. सं. 2/2/2018 एनएस(भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

**प्ररूप-1**

**[पैरा 1 का उप पैरा (1) देखें]  
(खाता खोलने के लिए आवेदन)**

सेवा में

पोस्टमास्टर / प्रबंधक

.....  
.....

आवेदक/आवेदकों की फोटो चिपकाएँ

महोदय ,

मै/हम..... (खाताधारक (खाताधारकों)/अभिभावक), आपके डाकघर / बैंक में किसान विकास पत्र स्कीम के अधीन एक खाताखोलने के लिए आवेदन करते हैं।

मै/हम..... प्रारंभिक जमा के रूप में तारीख ..... रुपए नकद/चेक/डीडी में..... तारीख के रूप में(रु.....) निविदा करते हैं। मेरी / हमारे विवरण इस प्रकार हैं

1. प्रथम जमाकर्ता

.....

पति/पिता/माता का नाम या न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक का नाम

.....

जन्म तिथि

(तारीख / मास / वर्ष)

(शब्दों में).....

2. दूसरा जमाकर्ता

.....

पति / पिता / माता का नाम .....

जन्म तिथि

.....

(तारीख / मास / वर्ष )

(शब्दों में).....

## 3. तीसरा जमाकर्ता

.....

पति/पिता/ माता का नाम

.....

जन्म तिथि

.....

(तारीख / मास / वर्ष )

(शब्दों में) .....

## 4. अवयस्क / विकृत चित्त खाता धारक के व्यक्ति का नाम

.....

पिता /माता / अभिभावक का नाम

.....

जन्म तिथि

.....

(तारीख / मास / वर्ष )

(शब्दों में) .....

## 5. खाताधारक(खाताधारकों) की आधार संख्या

.....

## 6. खाताधारक (खाताधारकों) का स्थायी खाता संख्या (पैन)

.....

## 7. वर्तमान पता

.....

.....

.....

## स्थायी पता

.....

.....

## 8.संपर्क विवरण

टेलीफोन का नंबर .....

मोबाइलनंबर .....

ईमेल

आईडी.....

9. खाता का प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से या विकृत चित्त या नेत्रहीन या निशक्त व्यक्ति के लिए अभिभावक के माध्यम से या एकल या संयुक्त ।

10. (\*) अवयस्क की जन्मतिथि का विवरण.....

(अवयस्क के खाते के मामले में लागू)

क) प्रमाण पत्र नं.

ख) जारी करने की तिथि

ग) जारी करने वाला प्राधिकरण

11. (\*) अभिभावक का नाम (प्राकृतिक/विधिक )

(यदि खाता अवयस्क/ विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से खोला जाता है)

12. केवाईसी के अन्य दस्तावेजों का विवरण संलग्न 1. पहचान का प्रमाण

2. पते का सबूत

पहचान और पते के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के रूप में स्वीकार किया जाता है: 1. पासपोर्ट 2. चालक अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जारी जाव कार्ड 5. नाम और पते के विवरण को अंतर्विष्ट करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया पत्र;

13. खाते का संचालन होगा:-  
या जीवित धारक/धारकों ।

(a) सभी धारकों द्वारा एक साथ

(संयुक्त खाते के मामले में)

(b) धारक/धारकों, या जीवित

जमाकर्ता/ जमाकर्ताओं के द्वारा,

14. मेरा/हमारा नमूना हस्ताक्षर

1.....2..... 3.,.....  
(नाम).....

1.....2..... 3.....  
(नाम).....

1..... 2..... 3.....  
(नाम).....



1..... 2..... 3.....  
(नाम).....

मैं समय-समय जारी किए गए संशोधनों और स्कीम पर लागू सरकारी बचत संवर्धन नियमों -2018 और स्कीम के उपबंधों को जारी करता हूँ।

खाता धारक/अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान  
तारीख :.....

### नामनिर्देशन

16. मैं/हम ..... नीचे उल्लेखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामनिर्देशित करते हैं, जिन्हें मेरी मृत्यु की स्थिति में अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर करने की राशि मेरे पास है मेरी मृत्यु के समय किसान विकास पत्र स्कीम में ऋण देय होगा।

क्र.सं.	नामनिर्देशित व्यक्ति का नाम (पते) और संबंध	पूरा पता (पते)	नामनिर्देशिती का आधार नंबर (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नामनिर्देशित व्यक्ति की जन्म तिथि	पात्रता का हिस्सा	पात्रता की प्रकृति (न्यासकर्ता या स्वामी)
1						
2						
3						
4						

क्रम संख्या ..... पर नामनिर्देशिती(ओं)के रूप में ..... ऊपर वर्णित है/अवयस्क है(हैं), मैं/श्री/श्रीमती/कुमारी..... नियुक्त करता हूँ ..... / का/पुत्र, का/पुत्री, का/पत्नी..... पता.....  
..... नाता (ओं) के अल्पसंख्यक के दौरान मेरी मृत्यु की स्थिति में उक्त खाते के तहत राशि प्राप्त करता है।

- गवाह के हस्ताक्षर .....
- नाम और पता .....
- गवाह के हस्ताक्षर .....
- नाम और पता .....

खाता धारक/अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान .....

तारीख :.....

**पोस्ट ऑफिस/बैंक के उपयोग के लिए**

खाते को ..... के नाम पर तारीख..... खाता सं.....द्वारा (स्कीम का नाम).....के अधीन.....रुपये के आरंभीक जमा के साथ.....को खोला गया है।  
 ग्राहक पहचान संख्या .....  
 नामांकन को तारीख ..... संख्या द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।

**प्ररूप-2**

[पैरा 5 के उप-पैरा (1) देखें]  
**(खाता बंद करने के लिए आवेदन)**

डाकघर/बैंक का नाम \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

खाता संख्या \_\_\_\_\_

1. मैं / हम इसके बाद पास बुक / जमा रसीद जमा करते हैं और \_\_\_\_\_ पर परिपक्व मेरे / हमारे उपर्युक्त खाते को बंद करने के लिए आवेदन करते हैं।

2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में पात्र शेष राशि का श्रेय \_\_\_\_\_ (खाता कार्यालय का नाम) पर खड़े मेरे एसबी खाता संख्या . \_\_\_\_\_ को दें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट / अकाउंट पेयी चेक जारी करें

या

कृपया नकद में भुगतान करें (यदि राशि अनुमेय सीमा से कम है तो लागू)।

\* प्रमाणित किया जाता है कि खाते में आयोजित राशि ..... के उपयोग के लिए आवश्यक है, जो जीवित है और अभी भी अवयस्क है।

खाता धारक/ अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(अंगूठे के निशान को लेखा कार्यालय में जाने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

**भुगतान आदेश**  
(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

तारीख .....

**भुगतान का विवरण**

मूल राशि रुपये. \_\_\_\_\_

(+) ब्याज देय रुपये. \_\_\_\_\_

(-) ओवरपेड ब्याज की वसूली. \_\_\_\_\_ रुपये

यदि कोई कटौती है \_\_\_\_\_ रुपये

देय कुल राशि \_\_\_\_\_ रुपये

भुगतान. \_\_\_\_\_ रुपये (आंकड़ों में) \_\_\_\_\_ (शब्दों में)

स्थान :

तारीख :

**पोस्टमास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर**

**निस्तारण**

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)

नकद/चेक/डीडीबियरिंग

सं...

.....।

नहीं.....

तारीख

खाताधारक/अभिभावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

**प्ररूप-3****[पैरा 6 के उप-पैरा (1) देखें]****(खाता परिपक्वता पूर्व बंद करने के लिए आवेदन)**

सेवा में,

पोस्टमास्टर/प्रबंधक

.....  
.....

महोदय,

1. मैं / हम नीचे दिए गए व्यौरे के अनुसार लागू जुर्माने की कौटती के पश्चात रकम को देने के लिए और किसान विकास पत्र स्कीम के अधीन खोले गए (\_\_\_\_\_ (केवल रुपए) \_\_\_\_\_ का संतुलन को परिपक्वता पूर्व मेरे / हमारे खाता संख्या (\_\_\_\_\_ बंद करने की आशा करते हैं :-

कृपया मेरे एसबी खाता संख्या \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_  
(खाता कार्यालय का नाम) पर राशि का श्रेय दें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट / आदाता खाता चेक जारी करें

या

कृपया नकद में भुगतान करें (लागू है यदि राशि अनुमेय सीमा से कम है)

3. मैं / हम इसके माध्यम से घोषणा करते हैं कि किसानविकास योजना योजना के तहत जिन शर्तों के तहत खाते को परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है, उनका अनुपालन किया गया है।

\* प्रमाणित है, कि खाते में रखी गई राशि का उपयोग ..... पल उस पल झुलसने के लिए आवश्यक है.

तारीख :- खाताधारक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान / अभिभावक \_\_\_\_\_

(जमाकर्ता के अंगूठे का निशान लेखा कार्यालय में जाने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

**केवल कार्यालय उपयोग के लिए  
भुगतान का विवरण**

खाते में पात्र शेष ` \_\_\_\_\_

कम जुर्माना राशि ` \_\_\_\_\_

कुल राशि का भुगतान किया जाना है ` \_\_\_\_\_ (आंकड़ों में)

(शब्दों में) \_\_\_\_\_

तारीख स्टाम्प

पोस्टमास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर

-----

**निस्तारण**

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)

नकद/चेक/डीडीबियरिंग सं... ..।

नहीं.....

तारीख

खाताधारक/अभिभावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

**प्ररूप-4**

[पैरा 7 देखें]

(खाता को गिरवी रखने के लिए आवेदन)

सेवा में,

पोस्टमास्टर/प्रबंधक

.....

महोदय,

1. मैं / हम .....(सरकार के राजपत्रित अधिकारी का कार्यालय पदनाम या भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, रजिस्ट्रकृत सहकारी समिति, निगम, एक सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण).....के साथ प्रतिभूती के रूप में .....रुपये की रकम को जमा करने की अपेक्षा

करते हैं। इसलिए मैं/हम ..... (अधिकारी का कार्यालय पदनाम) या शाखा का नाम आदि जिसमें खाता प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा रहा है।)..... के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII जारी) के अधीन..... खाता संख्या में जमा को अन्तरित का अनुरोध करते हैं

### खाते का विवरण

खाता संख्या	तारीख	खाता कार्यालय का नाम	राशि

ऊपर उल्लिखित प्राधिकरण ने प्रतिज्ञा को स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। प्रतिज्ञा के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा स्वीकृति संलग्न है।

तारीख:.....

खाते के हस्ताक्षर धारक

(एस) /अभिभावक

पता.....

### केवल कार्यालय उपयोग के लिए

खाता संख्या \_\_\_\_\_ को पंजीकरण संख्या ..... दिनांकित... ..... और आवश्यक प्रविष्टियों को रिकॉर्ड में चिह्नित किया गया है। पासबुक / जमा रसीद / खाते का विवरण भी प्रतिज्ञा के साथ चिह्नित किया गया है और खाताधारक को वापस कर दिया गया है।

पोस्ट मास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर  
सील

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

**G.S.R. 920(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

- 1. Short title and commencement.**- (1) This Scheme may be called the Kisan Vikas Patra Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.**-(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
  - (a) “account” means an account opened under this Scheme;
  - (b) “account holder” means an individual in whose name the account is held;
  - (c) “Act” means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
  - (d) “Form” means forms appended to this Scheme;
  - (e) “General Rules” means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
  - (f) “year” means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the General Rules.
- 3. Type of accounts.**- (1) On an application to the accounts office in Form-1, the following types of accounts can be opened under the Scheme, namely :-
  - (a) Single Holder Type Account;
  - (b) Joint A- Type Account; and
  - (c) Joint B- Type Account.

(2) (a) A Single Holder Type Account may be opened by an adult for himself, or on behalf of a minor or a person of unsound mind of whom he is the guardian, or by a minor who has attained the age of ten years;

(b) Joint A-Type Account may be opened jointly in the names of upto three adults payable to all the account holders jointly or to the survivors;

(c) Joint B-Type Account may be opened jointly in the name of upto three adults payable to any of the account holders or to the survivor or survivors.

**4. Deposits.-** (1) A minimum of one thousand rupees and any sum in multiples of one hundred rupees may be deposited in an account.

(2) There shall be no maximum limit for deposit in an account or in accounts held by an account holder.

(3) An individual may open any number of accounts.

**5. Payment on maturity.-** (1) Deposits made in the account shall double on maturity. Maturity period of an account shall be nine years and five months commencing on the date of deposit. Amount of maturity may be repaid to the account holder on an application in Form-2 submitted to the accounts office.

(2) The maturity period of the deposit under this Scheme shall be determined on the rate of interest applicable at the time of opening the account.

**6. Premature closure of account.-** (1) The account may be prematurely closed by the account holder by making an application in Form-3 to the accounts office, at any time before maturity under the following circumstances, namely:-

(a) on the death of the account holder in a single account, or any or all the account holders in a joint account;

(b) on forfeiture by a pledgee, being a Gazetted Officer;

(c) when ordered by a court.

(2) On the closure of the account under sub-paragraph (1), principal amount alongwith simple interest calculated at the rate applicable from time to time to Post Office Savings Account for the complete months for which the account has been held, shall be payable.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (2), if an account is closed any time after the expiry of two years and six months from the date of opening of the account, the amount, inclusive of interest shall be payable as specified in the table below:-

(Table showing premature closure value of account opened on or after date of notification with 1,000 rupees)

TABLE

Period from the date of the account to the date of its pre-mature closure	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Two and half years but less than three years	1173
Three years but less than three and half years	1211
Three and half years but less than four years	1251
Four years but less than four and half years	1291
Four and half years but less than five years	1333
Five years but less than five and half years	1377
Five and half years but less than six years	1421
Six years but less than six and half years	1467
Six and half years but less than seven years	1515

Seven years but less than seven and half years	1564
Seven and half years but less than eight years	1615
Eight years but less than eight and half years	1667
Eight and half years but less than nine years	1722
Nine years but before Maturity of Certificate	1778
On maturity of certificate	2000

**7. Pledging of account.-** (1) An account may be pledged or transferred as security, on an application made by the depositor in Form-4 supported with acceptance letter from the pledgee.

- (2) Transfer of an account under this Scheme may be made to-
- the President of India or the Governor of a State in his official capacity;
  - the Reserve Bank of India or a Scheduled Bank or a Cooperative Society, including a Co-operative Bank;
  - a public or private corporation or a Government company;
  - a local authority; or
  - a housing finance company approved by the National Housing Bank and notified by the Central Government:

Provided that the transfer of an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind shall not be permitted under this Scheme unless the guardian of the minor or the person of unsound mind, as the case may be, certifies in writing that the minor or the person of unsound mind, as the case may be, is alive and that the transfer is for the benefit of the minor or the person of unsound mind.

(3) When any account is transferred as security under sub-paragraph (1), the authorised officer shall make the following endorsement in the record of the Account, including the Savings Certificate, namely:-

“Transferred as security to .....” .

(4) Except as otherwise provided in this Scheme, the transferee of an account under this paragraph shall, until it is re-transferred back under sub-paragraph (5), be deemed to be the depositor.

(5) An account transferred under this Scheme may, on written authority of the transferee, be re-transferred back with the previous sanction in writing of the authorised officer and when any such retransfer is made, the authorised officer of the accounts office shall make the following endorsement in the record of the account, including certificate, namely:-

“Re-transferred to.....”.

(6) A blind person or a person with physical infirmity making him incapable of operating the account may pledge his deposit through any literate individual whom he authorises for this purpose.

**8. Transfer of account.-** An account may be transferred from one individual to another, subject to the condition that the transferee is eligible to open an account under this Scheme, in the following cases, namely:-

(i) on the death of the account holder in case of a single account or on the death of all the account holders in a joint account, the amount shall be transferred to the legal heirs or the nominees, as the case may be;

(ii) on the order of the court, the account shall be transferred from the account holder to the court or to any other individual as per the orders of the court;

- on pledging, account shall be transferred in accordance with paragraph 7;
- in the event of the death of any of the account holders in a joint account, the account shall be transferred in the name of the surviving account holder or account holders, as the case may be.



**9. Payment on the death of account holder.-** (1) In the event of death of the depositor of a single account or of all the depositors in a joint account, the deposit shall be payable to the nominee if a nomination exists or to the legal heir(s).

(2) Where there are not more than three surviving nominees or legal heirs, they may, at their option continue the account and receive the amount of deposit alongwith interest on maturity in the manner provided for in this scheme, as if they had opened the account themselves.

(3) Where the account is not continued under sub-paragraph (2), it shall be closed and the amount of deposit alongwith interest as provided in paragraph 6 shall be repaid.

(4) On the death of one or two of the account holders in a joint account, the surviving account holder or holders, if any, shall be treated as the owner or owners of the account and such account holder or holders may continue the account under sub-paragraph (2) or close the account under sub-paragraph (3).

**10. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply to this Scheme in relation to the matters for which no provisions have been made herein.

**11. Power to relax.-** Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the amount holder, it may be by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act or the rules made thereunder.


[F.No.2/2/2018 NS (Pt.I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

**FORM - 1**

**[See sub-paragraph (1) of paragraph 3]  
(Application for opening an account)**

To  
The Postmaster/Manager  
.....  
.....



Sir,

I/We .....(account holder(s)/guardian) hereby apply for opening of an account under Kisan Vikas Patra Scheme in your Post Office/Bank.

I/We tender herewith Rs...../(Rs.....)  
in cash/Cheque/DD. No..... date..... as initial deposit. My/our particulars are as under:-

1. Name of First Depositor .....
- Husband/Father /mother's name or guardian appointed by Court .....
- Date of Birth .....  
(DD / MM / YYYY )  
(In words).....
2. Name of Second Depositor .....
- Husband/Father /mother's name .....
- Date of Birth .....  
(DD / MM / YYYY )  
(In words).....

3. Name of Third Depositor  
 .....  
 Husband/Father /mother's name  
 .....  
 Date of Birth .....  
 (DD / MM / YYYY )  
 (In words).....
4. Name of minor/person of unsound mind account holder  
 .....  
 Father /mother/guardian's name  
 .....  
 Date of Birth .....  
 (DD / MM / YYYY )  
 (In words).....
5. Aadhaar Number of account holder(s)  
 .....
6. Permanent Account Number (PAN) of account holder(s)  
 .....
7. Present Address .....  
 .....  
 Permanent Address  
 .....  
 .....
8. Contact details Telephone Number.....  
 Mobile Number.....  
 Email ID.....
9. Type of Account Single or Joint or through Guardian for Minor or  
 person of unsound mind or blind or differently  
 abled through authorized person.
10. (\*)Details of date of birth of minor .....  
 (Applicable in case of minor account)  
 a) Certificate No. ....  
 .....  
 b) Date of Issue .....  
 .....  
 c) Issuing authority .....  
 .....
11. (\*) Name of guardian (natural/legal) .....  
 (In case the account is opened on behalf of a  
 minor/person of unsound mind)
12. Details of other KYC documents attached 1. Proof of identification

.....  
 2. Address proof  
 .....

The following documents are accepted as officially valid documents for the purpose of identification and address proof: 1. Passport 2. Driving license 3. Voter’s ID card 4. Job card issued by NREGA signed by the State Government officer 5. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address;

13. The operation of the account will be:- (a) By all the holders together or the surviving holder/s.  
 (In case of joint account) (b) By either of the holder/s, or the surviving depositor/s,

14. My/our specimen signatures

1..... 2..... 3.,.....  
 (Name).....  
 1..... 2..... 3.....  
 (Name).....  
 1..... 2..... 3.....  
 (Name).....  
 1..... 2..... 3.....  
 (Name).....

I hereby undertake to abide by the scheme provisions and Government Savings Promotion rules-2018 applicable on the Scheme and amendments issued thereto from time to time.

Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian

Date:.....

**Nomination**

16. I/we.....hereby nominate the person(s) mentioned below to whom to the exclusion of all other persons in the event of my death the amount standing to my credit in Kisan Vikas Patra Scheme at the time of my death would be payable.

S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee(optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement (Trustee or owner)
1						
2						
3						
4						

As the nominee(s) at Serial No.(s).....specified above is/are minor(s), I appoint  
 Shri/Smt/Kumari.....S/o,D/o,W/o.....  
 .....Address.....  
 .....to receive the sum due under the said account in the event of my death during the minority of the nominee(s).

1. Signature of witness.....

Name and Address.....

2. Signature of witness.....

Name and Address.....

Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian

Place:

Date:

### For use of Post Office/Bank

The account has been opened in the name of.....on.....with initial deposit of Rs.....under.....(name of the scheme) vide Account No.\_\_\_\_\_ dated\_\_\_\_\_.

Customer identification Number.....

Nomination has been registered vide No.....dated.....

Signature and seal of competent authority.

### FORM - 2

[See sub-paragraph (1) of paragraph 5]

(Application for closure of account)

Name of Post Office/Bank\_\_\_\_\_

Date\_\_\_\_\_

Account Number\_\_\_\_\_

1. I/we hereby submit pass book/deposit receipt and apply for closure of my/our above mentioned account matured on\_\_\_\_\_.

2. Please credit the amount of eligible balance in my matured account to my SB Account no.\_\_\_\_\_ standing at\_\_\_\_\_(Name of account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit).

\*Certified, that the amount held in the account is required for the use of .....who is alive and still a minor.

Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian  
(Thumb impression should be attested by a person known to accounts office)

**Payment Order**  
(For office use only)

Date .....

**Payment detail**

Principal amount Rs. \_\_\_\_\_

(+) Interest due Rs. \_\_\_\_\_

(-) Recovery of overpaid interest Rs. \_\_\_\_\_

Deduction if any Rs. \_\_\_\_\_

Total amount due Rs. \_\_\_\_\_

Pay Rs. \_\_\_\_\_ (in figures) \_\_\_\_\_ (in words)

Place:

Date :

Signature of Postmaster/Manager

**Acquittance**

(to be filled by depositor)

Received Rs . \_\_\_\_\_ (In figures) \_\_\_\_\_ (in words) By cash/cheque/DD bearing no.....dated...../by transfer to Account No. ....

Date:

Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian

**FORM - 3****[See sub-paragraph (1) of paragraph 6]  
(Application for premature closure of account)**

To,  
The Postmaster/Manager

.....  
.....

Sir,

1. I/we wish to prematurely close my/our Account No. \_\_\_\_\_ having balance of \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ Only) opened under Kisan Vikas Patra Scheme and request you to pay the amount after deduction of applicable penalty as per details given below:-

Please credit the amount to my SB Account No. \_\_\_\_\_ standing at \_\_\_\_\_ (Name of account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit)

3. I/We hereby declare that the conditions under which the account can be closed before maturity under the Kisan Vikas Patra Scheme have been complied with.

\*Certified, that the amount held in the account is required for the use of .....who is alive and still a minor.

Date:-

Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian

(Thumb impression of the depositor should be attested by a person known to the accounts office)

**For office use only****Payment detail**

Eligible balance in account ` . \_\_\_\_\_

Less penalty amount ` . \_\_\_\_\_

Total amount to be paid ` . \_\_\_\_\_ (In figures)

(In words) \_\_\_\_\_

Date Stamp

Signature of Postmaster/Manager

**Acquittance**

(to be filled by account holder/ messenger)

Received Rs . \_\_\_\_\_ (In figures) \_\_\_\_\_ (in words) By cash/cheque/DD bearing

No.) \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ /by transfer to Account

No. \_\_\_\_\_ .

Place :

Date :

Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian

**FORM - 4**

[See paragraph 7]

**(Application for pledging of account)**

To

The Postmaster/Manager

.....

Sir,

1. I/We ..... am/are required to deposit an amount of Rs. .... as security with ..... (official designation of the gazetted officer of the Government or name of the Reserve Bank of India or a Scheduled Bank, Cooperative Bank, Registered Cooperative Society, Corporation, A Government company or Local Authority). I/We therefore request you to transfer the deposit in Account Number \_\_\_\_\_ under Kisan Vikas Patra Scheme as security in favour of ..... (Official designation of the officer or name of the Branch etc to whom the account is being pledged as security.)

2. I/We agree that the account(s) can be encashed by the pledgee when the security has been forfeited. Nomination vide registration number.....in the account stands cancelled.

**Particulars of Account**

Account number	Date	Name of Account office	Amount

The authority mentioned above has agreed to accept the pledge. A pledge acceptance duly signed by the competent authority as pledgee is attached.

Date : .....

Signature of account holder(s)/guardian

Address .....

**For office use only**

Account number \_\_\_\_\_ has been pledged vide registration no..... dated..... and necessary entries have been marked in the record. Passbook/deposit receipt/statement of account has also been marked with pledge and returned to the account holder.

Signature of Post Master/Manager

Seal

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

**सा.का.नि. 921(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता स्कीम, 2019 है।